


बिहार सरकार  
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-7/स्था0 (उ0सि0)-04-03/2018.....<sup>2202</sup> मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के निम्नांकित उत्पाद सिपाही को उनकी आसन्न सेवानिवृत्ति एवं अभ्यावेदन के आधार पर निम्न प्रकार से स्थानान्तरित करते हुये कॉलम-05 में अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है -

क्र0 स0	उत्पाद सिपाही का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन का जिला	नवपदस्थापन जिला का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमति निशी कुमारी	पटना	नालंदा	भोजपुर	अभ्यावेदन के आधार पर
2	श्री विकास कुमार	पटना	सीतामढी	रोहतास	तदैव
3	श्री कृष्णा सिंह	वैशाली	कैमूर	औरंगाबाद	अभ्यावेदन के आधार पर ( सेवानिवृत्ति अक्टूबर, 2018)
4	श्री हरिशचन्द्र झा	दरभंगा	बेगूसराय	दरभंगा	अभ्यावेदन के आधार पर ( सेवानिवृत्ति दिसम्बर, 2018)
5	श्री उमेश चौधरी	पटना	वैशाली	पटना	अभ्यावेदन के आधार पर
6	श्री राकेश कुमार	पूर्णियाँ	किशनगंज	मुख्यालय पटना	तदैव
7	श्री चन्द्र भूषण चौधरी	बेगूसराय	बेगूसराय	समस्तीपुर	अभ्यावेदन के आधार पर ( सेवानिवृत्ति अगस्त, 2018)
8	श्री लाल राम	दरभंगा	मुंगेर	दरभंगा	अभ्यावेदन के आधार पर ( सेवानिवृत्ति जून 2019)
9	श्री राहुल पासवान	नालंदा	प0 चंपारण	ई0आई0बी0	अभ्यावेदन के आधार पर
10	श्री मदन राम	प0 चंपारण	मधुबनी	पश्चिमी चंपारण	तदैव
11	श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी	मुजफ्फरपुर	सारण	मुजफ्फरपुर	तदैव
12	श्री लक्ष्मण कुमार	सारण	सिवान	गोपालंज चेकपोस्ट प्रतिनियुक्त	प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए सिवान जिला में पदस्थापन।
13	श्री अमीत कुमार राय	गोपालगंज	कटिहार	सिवान	अभ्यावेदन के आधार पर
14	श्री संजय कुमार शर्मा	भोजपुर	पूर्णियाँ	बक्सर	तदैव

2. सभी स्थानान्तरित उत्पाद सिपाही 07 दिनों के अंदर नवपदस्थापन जिला में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
4. प्रस्ताव में आयुक्त उत्पाद का अनुमोदन प्राप्त है।




(श्रीकृष्ण पासवान)

संयुक्त आयुक्त उत्पाद,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 7/स्था0 (उ0सि0)-04-03/2018 - 2202

पटना, दिनांक 29/06/18

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




संयुक्त आयुक्त उत्पाद,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 7/स्था0 (उ0सि0)-04-03/2018 - 2202

पटना, दिनांक 29/06/18

प्रतिलिपि :- सभी समाहर्ता/सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद/सभी संबंधित उत्पाद सिपाही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे स्थानान्तरित उत्पाद सिपाही को योगदान देने हेतु निर्धारित समय सीमा के अंदर विरमित कर देंगे।



संयुक्त आयुक्त उत्पाद,  
बिहार, पटना।